महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक: रू0वि0/प0नि0का0/2024/1217-1226 दिनांक 12.08.2024

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालयों में चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) अध्यादेश को समान रूप से लागू किये जाने के संबंध श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र सं0 ई–7443/03–जी0एस0/2019(TC) दिनांक 26.11.2020 में दिये गये दिशा–निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय के व्यवसायिक पाठ्यक्रम (वार्षिकी) के परास्नातक स्तर पर एम0एस0सी0 (गृहविज्ञान) एवं बी0एड0, एम0एड0, बी0एल0एड0 तथा बी0पी0एड0 अन्तिम वर्ष 2024 की उत्तर पुस्तिका/पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से असंतुष्ट छात्रों को चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) में दी गयी व्यवस्थानुसार द्वितीय चरण के आवेदन पत्र निम्न विवरणानुसार उपलब्ध होंगे–

आवेदन ऑनलाईन उपलब्ध होने की तिथि	:	13.08.2024
आवेदन ऑनलाईन आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	:	17.08.2024

चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) का दूसरा चरण

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रू0 2500/– प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाईन जमा करना होगा।

चुनौती मूल्यांकन की प्रकिया–

1. प्रत्येक प्रश्नपत्र के चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के हेतु कम से कम 04 (चार) विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों की एक नामावली संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति महोदय को प्रस्तुत की जायेगा।
2. चुनौती मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उपर्युक्त नामावली में से नामित किन्हीं दो विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा करवाया जायेगा।
3. विषय विशेषज्ञ/परीक्षक को नामित करने का कार्य संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा इस संबंध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
4. चुनौती मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिका को विषय विशेषज्ञ/परीक्षक के सम्मुख उपस्थित करने से पहले मूल परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक/अंको का विवरण छिपा दिया जायेगा।
5. संबंधित उत्तर पुस्तिका की दो छाया प्रतियॉं तैयार करवायी जाए और उन्हें नामित विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में –

1. दोनों विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जायेगा।
2. यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हो अथवा अधिक।
3. यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क रू0 2500/– में से रू0 1000/– की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जायेगा।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय।
2. वित्त अधिकारी
3. उप कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)
4. डा0 अमित सिंह, मीडिया प्रभारी
5. प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा/गोपनीय)
6. निजी सचिव, कुलपति
7. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।
8. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट/केन्द्रीय कम्प्यूटर
9. प्रभारी, संबंधित एजेन्सी ऑनलाईन परीक्षाफार्म को इस आशय से कि तदानुसार आवेदन भरवाया जाना सुनिश्चित करें।

परीक्षा नियंत्रक